

कार्यालय नगर निगम, कोटा
मुख्यमंत्री शहरी बीपीएल आवास योजना
संशोधित वित्तीय स्वीकृति आदेश
(नगर निकाय के उपयोग हेतु)

क्रमांक..न.नि.को/बी.पी.एल /13-14/ 1088-1095

दिनांक:- 29.08.2013

बीपीएल सेन्सस-2003 में से राज्य सरकार के द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14 में आवंटित भौतिक लक्ष्यों के विरुद्ध प्राप्त आवेदन पत्रों के क्रम में निम्नानुसार लाभार्थियों को मुख्य मंत्री शहरी बीपीएल आवास योजना के अन्तर्गत वित्तीय स्वीकृति जारी की जाती है। पात्र व्यक्तियों को योजना के अनुसार प्रथम किश्त की राशि रूपये 33000/- हजार एतद्वारा किये जाने की स्वीकृति निम्नांकित शर्तों पर जारी की जाती है।

1. आवेदक को अपना आवेदन पत्र भर कर प्रस्तुत करना होगा।
 2. बैंक में खाता खुलवाकर बैंक पास बुक की फोटो प्रतिलिपि देनी होगी।
 3. योजना के अन्तर्गत भवन निर्माण उन्नयन हेतु राशि 70000 रूपये तथा शोचालय निर्माण के लिए पृथक से 5000रूपये की राशि देय होगी। इस प्रकार कुल राशि 75000 हजार देय होगी। प्रथम किश्त में 28000/-रूपये एवं 5000/- रूपये शोचालय निर्माण हेतु, कुल राशि 33000/- रूपये, द्वितीय किश्त राशि 28000/- रूपये तथा तृतीय किश्त राशि में 14000/- रूपये की राशि देय होगी।
 4. भूमि जिसमें आवास निर्माण/उन्नयन कराया जायेगा, उसके पट्टे की फोटो प्रतिलिपि देनी होगी।
 5. मुख्यमंत्री शहरी बी.पी.एल आवास योजना, एकीकृत आवास एवं गंदी बस्ती सुधार कार्यक्रम (IHSDP) राजस्थान विशेष आवास योजना शहरी गरीबों को आधारभूत सेवा कार्यक्रम (BSDP) के अंतर्गत पट्टे की अनिवार्यता नहीं होगी बशर्ते लाभान्वित प्रतिबंधित भूमि यथा वन क्षेत्र, डूब क्षेत्र, नदी-नाले, आगोर, देवस्थान, रक्षा विभाग आदि की भूमि पर निवास नहीं कर रहा है। पट्टे के अभाव में लाभान्वित किये जाने की दृष्टि से पास व्यक्ति/परिवार के कब्जे के प्रमाण स्वरूप वर्ष 2009 से पूर्व के निवास के निम्नांकित दस्तावेज ग्राह्य मान माने जायेगे।
- (i) मतदाता सूची में नाम।
(ii) राशनकार्ड की प्रमाणित प्रति।
(iii) विजली, पानी टेलीफोन आदि के बिल।
(iv) सक्षम प्राधिकारी से जारी पुराना पट्टा/विक्रय पत्र अथवा सत्यापित साइड प्लान जिसमें लाभान्वित का नाम एवं कब्जे शुदा भूमि का विवरण अंकित हो।
(v) किसी न्यायालय अथवा सक्षम प्राधिकारी का निर्णय।
(vi) कब्जधारी को पूर्व में जारी कोई नोटिस/पत्र आदि की प्रति।
- नोट:-** यह स्वीकृति आदेश भूमि के स्वामित्व के दस्तावेज के रूप में मान्य नहीं होगी।

वर्ष 2013-14 अन्तर्गत मुख्यमंत्री शहरी बीपीएल आवास योजना में लाभान्वित किये जाने वाले पात्र परिवारों की वार्डवार सूची :-

क्र.सं.	जोन	नयी वार्ड संख्या	पूर्व वार्ड संख्या	लाभार्थी का नाम मय पिता/पति एवं पता	चयनित क्रमांक	जाति S.C-(1) S.T-(2) O.B.C- (3) Gen-(4) अल्पसंख्यक-(5)	बैंक का नाम मय शाखा	खाता सं.	कुल स्वीकृत राशि	पूर्व में जारी की गई कुल राशि	हस्तान्तरित की जाने वाली प्रथम किश्त की राशि			विशेष विवरण
											योजनान्तर्गत राशि	राज्य सरकार की अति. सहायता	योग 28000/- रु + 5000/-रु	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	विज्ञान नगर	35	59	सुगन बाई	रतनलाल	481-एफ, बॉम्बे योजना जे के नगर कोटा	21	1	75000	-	-	-	33,000	उन्नयन
2	विज्ञान नगर	35	59	संजीत शाहा	विमल शाहा	24 ए बंगाली बस्ती शीतला	135	4	75000	-	-	-	33,000	उन्नयन

3	विज्ञान नगर	35	59	नोरंग बाई	स्व. मांगीलाल	930, गढ़वाल साइकिल वाले के पीछे प्रेम नगर 3 कोटा	166	3			75000	—	—	—	33,000	उन्नयन
4	विज्ञान नगर	35	59	बीलकीस	स्व. मोहम्मद शरीफ	542 नगर निगम के पीछे साजी देहडा कोटा	253	3			75000	—	—	—	33,000	उन्नयन
5	विज्ञान नगर	35	59	आरीफ	हबीब मोहम्मद	पुलिस चौकी के पीछे इमली का चौक छावनी कोटा	279	5			75000	—	—	—	33,000	उन्नयन
6	विज्ञान नगर	35	59	रणजीत	पी. एल. जुजा	153, मनोज मेडिकल कै पास सब्जीमण्डी छावनी कोटा	297	1			75000	—	—	—	33,000	उन्नयन
7	विज्ञान नगर	35	59	कान्ती बाई	रामकुमार	35 / 59 दुर्गा नगर कच्ची	348	3			75000	—	—	—	33,000	उन्नयन
8	विज्ञान नगर	35	59	प्रेम बाई	मथुरा लाल	प्रेम नगर ग विजय वर्गीय किराना स्टोर के पास विष्णु कालोनी कोटा	437	4			75000	—	—	—	33,000	उन्नयन
9	विज्ञान नगर	35	59	दिनेश चंद शर्मा	रामखिलाडी शर्मा	म. नं. 382 दिनेश एडवोकेट वाली गली बी.पी. ऑफियल के सामने रामचन्द्रपुरा छावनी कोटा	507	4			75000	—	—	—	33,000	उन्नयन


आश्विनी
(रामखिलाडी शर्मा)
नगर निगम, कोटा


मुख्य
कृष्ण पद्मनाथ आश्विनी
नगर निगम, कोटा

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. श्री. इज्यराज सिंह जी मान्नीय सांसद महोदय लोकसभा क्षेत्र कोटा बून्दी।
2. मान्नीय विधायक महोदय विधानसंभा क्षेत्र कोटा उत्तर, कोटा दक्षिण, लाडपुर।
3. महापौर महोदया, नगर निगम कोटा।
4. पार्षद श्री.....वार्ड नं.....।
5. प्रभारी अधिकारी (मुख्यमंत्री शहरी बीपीएल आवास योजना) राजस्थान आवास विकास एवं इन्फास्ट्रक्चर लिमिटेड (RAVIL) जयपुर।
6. उप निदेशक क्षेत्रीय रथानीय निकाय विभाग कोटा।
7. आवेदक श्री/ श्रीमती/ कुमारी.....।
8. रक्षित पत्रावली।



मुख्य कार्बोरारी अधिकारी
मुख्य कार्बोरारी अधिकारी
नगर निगम, कोटा


आशोक पटेल
(राजस्थान राज्य संसदीय समिति
नगर निगम, कोटा


मुख्य संसदीय समिति
मुख्य संसदीय समिति अधिकारी
नगर निगम, कोटा

